

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 381]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2018—आषाढ़ 15, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2018

क्र. डी-15-72-17-चौदह-3.—अतः राज्य सरकार की राय में मंडी समितियों का निर्वाचन प्रदेश में रबी 2017-18 में सूखे की स्थिति, मानसून की आवक तथा प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत चना, मसूर, सरसों का उपार्जन, कृषक समृद्धि योजना में प्याज, लहंसुन, ग्रीष्मकालीन मूँग/उड़द के मण्डियों में क्रय-विक्रय को दृष्टिगत रखते हुए नियत समय में कराना संभव नहीं है।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वर्तमान निर्वाचित मण्डी समितियों की अवधि में पूर्व जारी अधिसूचना से बढ़ाये गये कार्यकाल के समाप्त होने की तारीख से छः माह की अवधि के लिए या मण्डी समितियों के नये निर्वाचन होने तक, जो भी पूर्वतर हो वृद्धि करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2018

क्र. डी-15-72-17-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव

Bhopal, the 6th July 2018

No. D-15-72-17-XIV-3.—WHEREAS, in the opinion of the State Government it is not possible to hold the elections of Mandi Committees in the stipulated time due to the draught in Rabi 2017-18, arrival of monsoon and procurement of Gram, lentil, Mustard under Price Support Scheme, Sales and Purchase of Onion, Garlic, Summer Moong and Summer Urad under Krishak Samridhi Yojna.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby extend the term of the present elected Mandi Committees, from the date of expiry of the present term extended by the earlier notification for a period of another six months and or till the new elections of the Mandi Committees, whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
UPENDRA NATH SHARMA, Dy. Secy.